अनुसूची–१४ –फारम स0 १६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

अधिग्रहण वाद सं0– 02/2010

सरकार (मार्फत अनु0 पदा.मढौरा, सारण।)

बनाम

टुनटुन राम एवं मोती लाल साह

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
16.04.2015	विपक्षी की हाजरी प्राप्त। अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के पत्रांक 161/रा0/सी0 दिनांक 16.03.2010 के द्वारा जप्त खाद्यान्न की डाक के द्वारा बिकी कराकर अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित किया जाता है। विपक्षी (जप्त खाद्यान्न का स्वामी/दावाकर्त्ता) के द्वारा विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा भेल्दी थाना कांड सं0 5/10 से संबंधित विचारण वाद सं0 1498/2013 में पारित आदेश दिनांक 19.07.13 की सच्ची प्रतिलिपि संलग्न कर जप्त खाद्यान्न की विकय राशि विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। विपक्षी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अभिलेख मे रक्षित कागजातों का परिसीलन किया गया। विपक्षी मोती लाल साह पिता लक्ष्मी साह थाना–डेरनी जिला–सारण (जप्त खाद्यान्न के दावाकर्त्ता/स्वामी) के द्वारा समर्पित कागजातों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा को निर्देश है कि जप्त	

खाद्यान्न की विक्रय राशि उचित पहचान पर विहित प्रकिया के तहत विपक्षी को उपलब्ध कराई जाए। सुनवाई की अगली तिथि 25.06.15 के पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्धं कराया जाय।

अभिलेख 25.06.2015 को रखे।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/–	ह0/–
जिला दण्डाधिकारी,	जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।	सारण, छपरा।

ज्ञापांक 270/न्यायालय, दिनांक 21/4/2015

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी मढौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि संलग्न कागजात का तामिला संबंधित को कराकर तामिला प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपिः– थानाध्यक्ष भेल्दी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0 आई0 सी0, सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के बेबसाईट पर डाउनलोड करने हेतु निदेशानुसार प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विपक्षी मोती लाल साह पिता लक्ष्मी साह थाना–डेरनी जिला–सारण (जप्त खाद्यान्न का स्वामी/दावाकर्त्ता) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/4/15

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।

Confiscation vad no 02-2010